सत्यमेव जयते
Web Copy - Not ...

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/186 दायर दिनांक 03.07.2017

वादी		प्रतिवादी
1. इकबाल खां पुत्र कराम खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवना

दावा बाबत्
रिकार्ड दुरूस्ती व राजस्व रिकार्डमें रास्ता कायम करने हेतु वाद समस्त प्रकार के प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा- 88 R.T.Act. व 136 L.R.Act.

उपस्थित-
1. श्रीमती सन्तोष जाजू अधिवक्ता वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनांक **21.07.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व वादी का भाई असगर खां की व हाकम अली, मुनीम खां, यासीन खां, अयूब खां पुत्र अली खां जाति कायमखानी का सामलाती व संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा सं0 324 रकबा 20 बीघा बेरी खुर्द में है। वादी के खेत के सींवा जोड ही मांगू खां पुत्र खाजू खां कायमखानी की खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत खसरा सं0 332 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा बेरी खुर्द में स्थित है। वादी का खेत खसरा सं0 324 व 332 के चिपते ही उत्तर में खेत खसरा सं0 326 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा बल्लाराम के वारिसान नानूराम वगैराह व कानाराम के वारिसान गणेशाराम व चन्दरी देवी मेघवंशी की खातेदारी का बेरी खुर्द में स्थित है। उक्त दावें के साथ नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जो इस दावें का भाग है। खेत खसरा सं0 324 व 332 के खेतों में आने जाने गाडी छकडा, मवेशी, ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने के लिए कटाणी रास्ता जो कि बेरी खुर्द से खाखोली आने जाने का है में से फन्ट करके दक्षिण में आये खेत खसरा सं0 326 मार्क ए से बी व पश्चिमी सींव सींव उत्तर से दक्षिण खसरा सं0 332 व 324 में प्रवेश करता है। इसके अलावा न तो कोई रास्ता था तथा ना ही है। नजरी नक्शा में उक्त कटाणी रास्ता जो बेरी खुर्द से खाखोली आने जाने का है को मार्क X Y से प्रदर्शित किया गया है तथा इस कटाणी रास्ते से मार्क ए से फन्ट करके खसरा सं0 332 व 324 में कदीमी गाडी रास्ता मार्क ए से बी से प्रदर्शित किया गया है।

नजरी नक्शे में प्रदर्शित रास्ते बाबत वादी ने एक वाद घोषणा रास्ता व स्थाई निषेधाज्ञा का सिविल न्यायाधीश डीडवाना में मांगु खां बनाम नानूराम आदि मूल दीवानी वाद सं0 37/06 का किया था जो कि दिनांक 06.08.2008 को न्यायालय श्रीमान ने वादी के पक्ष में निर्णित कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री की प्रति वाद के साथ पेश है। वादी के द्वारा प्रतिवादी को उक्त निर्णय की प्रति देकर बार-बार राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर रिकार्ड दुरूस्त करने का कहा गया लेकिन बार-बार टाल मटोल करते रहे।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017 / 186
दायर दिनांक 03.07.2017, निर्णय दिनांक 21.07.2017
इकबाल खां बनाम तहसीलदार, वगैरा।

प्रार्थना वादी है कि नजरी नक्शा में दर्शित उक्त कटाणी रास्ता जो बेरी खुर्द से खाखोली आने–जाने का मार्ग X Y से प्रदर्शित है, इस कटाणी रास्ते से मार्क ए से फन्ट करके खसरा सं0 332 व 324 में कदीमी गाडी रास्ता मार्क ए से बी प्रदर्शित है को राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करके रास्ता कायम किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने एक वाद सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग डीडवाना में वाद सं0 37/06 उनवान मांगु खां बनाम नानूराम में पेश किया। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार "वाद वादीगण मांगु खां आदि विरूद्ध प्रतिवादीगण नानूराम आदि बाबत घोषणा रास्ता व स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि नजरी नक्शा प्रदर्श 4 के अनुसार मार्क ए से बी रास्ता मौके पर मौजुद है तथा प्रतिवादीगण सं0 01, 03 व 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित किया जाता है कि वे उस रास्ते में किसी प्रकार की रूकावट अथवा अवरोध कारित नहीं करें। खर्चा अपना–अपना वहन करें।" इसी प्रकार की डिक्री जारी की गई। उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि माननीय सिविल न्यायालय ने भी मार्क ए से बी मौके पर रास्ता माना है तथा उक्त रास्ता वर्तमान में चालु है। अतः तर्को पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध रकेर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर नजरी नक्शा में दर्शित उक्त कटाणी रास्ता जो वेरी खुर्द से खाखोली आने–जाने का मार्ग X Y से प्रदर्शित है, इस कटाणी रास्ते से मार्क ए से फन्ट करके खसरा सं0 332 व 324 में कदीमी गाडी रास्ता नजरी नक्शा में मार्क ए से बी प्रदर्शित है को राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करके रास्ता कायम किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदुनसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर * डीडवाना *

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **21.07.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

दिनांक :- 28/12/2017
नोट :- निर्णय दिनांक 21.07.2017 में रास्ता की चौड़ाई 14 फुट तथा कुल रकबा 08 बिस्वा घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/186 — दायर दिनांक 03.07.2017

वादी		प्रतिवादी
1. इकबाल खां पुत्र कासम खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवना

दावा बाबत्
रिकार्ड दुरूस्ती व राजस्व रिकार्डमें रास्ता कायम करने हेतु
वाद समस्त प्रकार के प्रमाणों के आधार पर
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act. व 136 L.R.Act.

दिनांक 21.07.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्रीमती सन्तोष जाजु अधिवक्ता वादी की ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर नजरी नक्शा में दर्शित उक्त कटाणी रास्ता जो बेरी खुर्द से खाखोली आने–जाने का मार्ग X Y से प्रदर्शित है, इस कटाणी रास्ते से मार्क ए से फन्ट करके खसरा सं0 332 व 324 में कदीमी गाडी रास्ता नजरी नक्शा में मार्क ए से बी प्रदर्शित है को राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करके रास्ता कायम किया जाता है। नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तदुनसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.07.2017 को सरे इजलास जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना

दिनांक – 28/12/17

नोट:- निर्णय एवं डिग्री दिनांक 21.07.2017 में रास्ता की चौड़ाई 14 फुट तथा कुल रकबा 08 बिस्वा घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner